न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 211/2024 निर्णय दिनांक:30.06.2025
ऑनलाईन नम्बर 2024/437

मांगीलाल दत्तक पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी कितासर भाटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

–प्रार्थी–

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितिः–

1. श्री मदनगोपाल स्वामी अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित धारा 88 आरटीए</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र निम्नलिखित आधारो पर सादर प्रस्तुत हैं कि प्रार्थी ग्राम कितासर भाटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का स्थायी निवासी हैं। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 172 क्षेत्रफल 4.4500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 283 क्षैत्रफल 13.9100 हैक्टेयर रोही ग्राम कितासर भाटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। वादगत प्रार्थी को अपने दत्तक पिता पन्नाराम जी से विरास्तन प्राप्त हुए हैं जिसमें प्रार्थी 1/2 हिस्सा स्थित है। प्रार्थी का वादगत खेतों में स्थित अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी के हिस्सा की वादगत कृषि भूमि की खातेदारी पूर्व में प्रार्थी के दत्तक पिता पन्नाराम जी के नाम दर्ज थी जो विरास्तन प्रार्थी के नाम दर्ज की गयी तव आम बोलचाल के हिसाब से प्रार्थी का नाम "मांगू दत्तक पुत्र पन्ना जाति जाट साकिन देह खातेदार" दर्ज कर दिया गया जो वादगत खेतों के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। वादगत खेतों में आम बोलचाल के हिसाब से दर्ज किया गया नाम "मांगू दत्तक पुत्र पन्ना जाति जाट साकिन देह खातेदार" दर्ज चला आ रहा है जबकि प्रार्थी का वास्तविक, शुद्ध एवं सही नाम "मांगीलाल दत्तक पुत्र पन्नाराम जाति जाट साकिन देह खातेदार" हैं । यह हैं कि जो प्रार्थी के सभी सरकारी एवं अर्द्धसरकारी दस्तावेजों में प्रार्थी का वास्तविक, शुद्ध व सही नाम "मांगीलाल दत्तक पुत्र पन्नाराम" दर्ज अंकित चला आ रहा है। वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम अशुद्ध दर्ज चला आ रहा होने से प्रार्थी को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में व अन्य अनेक प्रकार के कृषि विकास कार्य करने में कठिनाई आ रही है । प्रार्थी प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाकर अपना वास्तविक व शुद्ध नाम "मांगीलाल दत्तक पुत्र पन्नाराम जाति जाट साकिन देह खातेदार" दर्ज करवाना चाहता हैं। प्रार्थी वादगत खेतों का काबिज काश्त खातेदार होने से राजस्व रिकार्ड में अपना नाम शुद्ध दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादगत खेतों की कृषि भूमि पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 बैंक से ऋण

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.02 13:14:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

ले रखा हैं इसलिए अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किया गया हैं अप्रार्थी संख्या 2 से कोई अनुतोष नही चाहा गया है। प्रार्थी ने वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम पता शुद्ध अंकित करने हेतू अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया तो अप्रार्थी ने सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व रिकार्ड में नाम पता शुद्ध दर्ज करने से इन्कार कर दिया। अप्रार्थी द्वारा किये गये इन्कार के कारण प्रार्थी को अप्रार्थी के विरूद्ध वादहेतू प्राप्त है एवं वादगत खेतों का खातेदार कृषक होने से प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आधार प्राप्त है। प्रार्थी ग्राम कितासर भाटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का स्थायी निवासी हैं एवं वादगत खेत गांव कितासर भाटियान की रोही में स्थित हैं इसलिए प्रार्थना पत्र मान्नीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फिस पर एवं हर प्रकार से अन्दर मियांद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादगत खेत खसरा नम्बर 172 क्षेत्रफल 4.4500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 283 क्षेत्रफल 13.9100 हैक्टेयर रोही ग्राम कितासर भाटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के अशुद्ध नाम की जगह "मांगीलाल दत्तक पुत्र पन्नाराम जाति जाट साकिन देह खातेदार" दर्ज करके राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 2 को प्रदान किया जावें । अन्य कोई अनुतोष जो हितकर प्रार्थी हो या दौराने प्रार्थना पत्र हितकर प्रार्थी हो जावें वह भी प्रदान किया जावें ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाब पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 172 क्षेत्रफल 4.4500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 283 क्षेत्रफल 13.9100 हैक्टेयर रोही ग्राम कितासर भाटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के अशुद्ध नाम के स्थान पर शुद्ध नाम "मांगीलाल दत्तक पुत्र पन्नाराम" दर्ज करके राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। रहन यथावत् रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.02 13:14:49 IST
Reason: SelfAttested